कार्यालयः प्रभागीय नजीबाबाद बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद
पत्रॉक 2635 /22–1दिनॉक नजीबाबाद 27 मार्च,2023।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

विषयः– जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ द्वारा नजीबाबाद–कोटद्वार मार्ग (एन0एच0–119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder (from Chainage 120+900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौडीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव उस पर उवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लाट की अनुमति के संबध में।

संदर्भः– आपका पत्रॉक 2112/14–1 दिंनाक 24.3.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में इस प्रभाग के अन्तर्गत कौडिया रेंज की Site specific wildlife Conservation Plan/Mitgation measures सशोंधत कर प्रेषित की जा रही है।

सलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

पत्रांक /14–1 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपिः– वन संरक्षक एंव क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद को उपनोक्तानुसार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Scanned with OKEN Scanner

साईट स्पेसिफिक वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन प्लान

(कौडिया रेंज)

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Scanned with OKEN Scanner

प्रभाग एक दृष्टि में

1–	प्रभाग का नाम–	बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद।
2–	जनपद का नाम–	बिजनौर
3–	प्रभाग का मुख्यालय–	नजीबाबाद
4–	प्रभाग का पता–	शोभती मार्केट, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, जनपद– बिजनौर
5–	प्रभाग का दूरभाष न0	01341–232066
6–	प्रभाग की रेंजों का नाम–	1– कौड़िया 2– साहनपुर 3– राजगढ़ 4– साहूवाला 5– बढ़ापुर
7–	प्रभाग का कुल क्षेत्रफल	33399– हेक्टेयर

Scanned with OKEN Scanner

1– प्रभाग का विवरण

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद का समस्त क्षेत्रफल आरक्षित वन है। प्रभाग में खैर, सागौन, शीशम व साल आदि प्रजाति के बहुमूल्य प्रजातियों के वन विधमान है। प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र उत्तर एवं पश्चिम में उत्तरांचल राज्य के पौड़ी एवं हरिद्वार जनपद से एवं पूर्व में बिजनौर जनपद के शेष भाग से घिरा हुआ है। प्रभाग का क्षेत्र सामान्यता मैदानी है किन्तु शिवालिक की पहाडियों के तल पर स्थित होने के कारण कुछ भाग असमतल एंव भावर की है। शेष भाग तराई– भावर की पटटी बनाता है। यह एक वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। यहां बाघ, तेंदुआ, हाथी, चीतल, जंगली सुअर, सांभर आदि वन्य जीव पाये जाते है। यह वन प्रभाग उत्तरांचल राज्य के कालागढ़ टाईगर रिजर्व तथा सरंक्षित वन क्षेत्रो में बाघों, हॉथी तथा वन्य जीवो का आवागमन रहता है। उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश का यह एक मात्र प्रभाग है जहां पर हाथियों की संख्या काफी है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रभाग को शिवालिक हाथी रिजर्व में सम्मिलित किया गया है।

प्रभाग को प्रबन्धन की दृष्टि से 5 रेंजों में विभक्त किया गया है। इसमें 32 बीटें है। यह प्रभाग वन्य जीवों के अवैध शिकार के लिये भी अति संवेदनशील है तथा राज्य के संवेदनशील वन प्रभागों की सूची में आता है। इस प्रभाग की कौडिया रेंज अति संवेदनशील है।

कौडिया रेंज की सीमा उत्तराखण्ड के कोटद्वारा से लगी हुई। कौडिया रेंज के अंतर्गत वन्यजीवो का आवागमन बहुलता में होता है। इस रेंज के आरक्षित वन से होकर एन0एच0 119 तथा कोटद्वारा–नजीबाबाद रेलवे लाइन गुजरती है। रवासन–सोनानदी हाथी कॉरीडोर की इस रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र तथा एन0एच0 119 कोटद्वारा–नजीबाबाद रेलवे लाइन से होकर गुजरता है। इस कारण से कौडिया रेंज वन्य जीवो सरंक्षण के दृष्टिगत अत्यधिक संवेदनशील है।

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के नियन्त्रणाधीन कौडिया रेंज क्षेत्र का क्षेत्रफल 6871.90 हेक्टेयर है तथा वन क्षेत्र में मुख्य वृक्ष प्रताति साल, सागौन, शीशम, खैर आदि है तथा वन्य जीव प्रजाति में बाघ, तेन्दुआ, हाथी, हिरन आदि मुख्य है। यहॉ के वनों में बहुमूल्य औषधीय प्रजातियॉ एवं जडी बूटियॉ यथा हरड़ बहेडा, ऑवला, जामुन, अर्जुन, अमलतास, बेल, ब्राम्हीं, पीपल आदि प्रचुर मात्रा में हैं। प्रभाग के वन क्षेत्रों में प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों में प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों की अपेक्षा जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। कौडिया रेंज से लगे ग्रामों में हजारों लोग इन वनों से ईंधन जलौनी लकड़ी, चारा पत्ती, छप्पर छाने की घास, आदि जरूरतो हेतु वन क्षेत्र में आते रहते है। रेंज की सीमा पर काश्त की जमीन इस रेंज को और अधिक सवेंदनशील बनाती है।

Scanned with OKEN Scanner

2– योजना के उद्देश्य :–

1–वन्य जीवों का सरंक्षण।

2–मानव वन्य जीव द्वन्द्व रोकना।

3– भूमि कटान रोकना।

4– वन्य जीवों हेतु प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता कराया जाना।

5– वन्य जीवों के प्राकृतवासों का सुधार करना।

6– वन तथा वन्य जीवों के बावत आम नागरिकों में जनजागरूकता बढाया जाना.।

7–वन तथा वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु सूचना तंत्र एंव प्रशासनिक व्यवस्थओ का विकास करना।

8–वन्य जीवों को उनके प्राकृतवासों के पास रखने हेतु प्राकृतिक जलश्रोतों का विकास करना।

9–जैव विविधता संरक्षण।

10–प्राकृतिक सम्पदा में बढोत्तरी

11–जीवन की निरन्तरता बनाया रखना।

Scanned with OKEN Scanner

योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण :-

1. **वन मार्गो की मरमम्त–** प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध वन तथा वन्य जीवो के सरंक्षण हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र में सघन गस्त की जाये। प्रभाग का समस्त क्षेत्र तराई क्षेत्र होने के कारण अनेको नदिया वन क्षेत्र से गुजरती है तथा वर्षात में वन मार्ग पूर्णतः क्षतिगस्त हो जाते है, जिसकी मरम्मत कराया जाना वन तथा वन्य जीवों के सरक्षण एंव सम्बर्धन हेतु अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु वन मार्गो के किनारे झाडी कटान कर मार्गो के नजदीक से श्रमिकों के द्वारा मिटी का भरान कर , समतल कर निरिक्षण /गस्त हेतु उपयुक्त बनाया जाना।

2. **पक्के वाटर होल का निर्माण–**प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र तराई भावर होने के कारण पानी नही रूकता है । गर्मी के समय जो प्रार्कतिक रूप से पानी के सचय स्थल वन क्षेत्रो मे उपलब्ध है वह सुख जाते है तथा हाथी एंव अन्य वन्य जीव पानी की तालाश में वन्य क्षेत्र से बाहर निकल जाते है जिससे वन्य प्रार्णियो से जान माल का खतरा बना रहता है तथा अनेको घटनाये मानव /पशु से वन्य जीवो के द्वन्द्व की होती रहती है। इस हेतु प्रभाग द्वारा पक्के वाटर होलो के निर्माण का प्राविधान किया जा रहा है, ताकि मानव वन्य जीव द्वन्द्व को कम किया जा सके।

3. **पक्के वाटर होल में पानी की व्यवस्था हेतु सोलर टूयेबल समरसेबल बोरिंग का निर्माण कार्य:–** गर्मी के समय प्राकृतिक रूप से पानी के सचय स्थल सूख जाते है तथा वन्य जीव पानी की तलाश में ग्रामीण इलाको में भटक जाते है। इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि पक्के वाटर होलो में पानी की व्यवस्था हेतु सोलरी टूयेबल बोरिंग का निर्माण किया जाये ताकि वन्य जीवों को पानी सुलर्भ हो सके।

4. **कच्चे वाटर होलो का निर्माण–** वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने हेतु पक्के वाटर होलो की लागत अधिक होने के कारण यह सज्ञांन मे लिया गया है कि पक्के वाटर होलो के साथ साथ वन्य क्षेत्रो में कच्चे वाटर होल/छोटे तालाबो का निर्माण किया जाये। इस हेतु 20 मी0 लम्बाई 10 मी0 चौडाई एंव 2 मी0 गहराई के छोटे कच्चे तालाब निर्माण का प्राविधान किया जा रहा है।

5. **पक्के वाटर होलो हेतु पानी की व्यवस्था–** गर्मी के समय प्राकृतिक रूप से पानी के सचय स्थल सूख जाते है तथा वन्य जीव पानी की तलाश में ग्रामीण इलाको में भटक जाते है इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि पक्के वाटर होलो में प्रत्येक आठवें दिन दो टैंकर पानी प्रति वाटर टैंक भराया जाये ताकि वन्य जीवों को पानी सुलर्भ हो सके।

Scanned with OKEN Scanner

6. **राजकीय वाहन की आवश्यकता एंव राजकीय वाहनो की मरम्मत एंव ईधन पर व्यय :–** प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध वन तथा वन्य जीवो के सरंक्षण हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र में सघन गस्त की जाये। वन्य जीवो की सुरक्षा हेतु वाहन उपलब्धता एंव रख–रखाव किया जाना आवश्यक है। निजी कास्त से लगे वन क्षेत्रो मे गस्त करने एंव वन्य जीवों को वन में खदेडने/भगाने हेतु स्टाफ को लाने ले जाने के लिये वाहन की आवश्यकता एंव मरम्मत आदि किया जाना आवश्यक है तथा ईधन का कय किये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रभाग के अन्तर्गत 05 रेंज है। राजगढ रेंज एंव उप प्रभागीय वनाधिकारी हेतु 1–1 वाहन की आवश्यकता है।

7. **कैमरा ट्रैपः–** इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब में उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ टाइगर रिजर्व/कार्बेट टाइगर रिजर्व एंव पश्चिम में हरिद्वार वन प्रभाग /राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचो बीच मे राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा में प्रवेश करते हुए एक स्थान से दुसरे स्थान को आवगमन करते है । जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। वन्य जीवो की निगरानी रखने हेतु इस प्रभाग द्वारा वन्य जीवो के आवगमन वाले अति सवेदनशील क्षेत्रो हेतु कैमरा ट्रैप कय किया जाना नितान्त आवश्यक होने के कारण कय किया जाना प्रस्तावित है।

8. **वॉच टावर का निर्माणः–** इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब में उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ टाइगर रिजर्व/कार्बेट टाइगर रिजर्व एंव पश्चिम में हरिद्वार वन प्रभाग /राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचो बीच मे राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा में प्रवेश करते हुए एक स्थान से दुसरे स्थान को आवगमन करते है । जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। वन्य जीवो की निगरानी रखने हेतु इस प्रभाग द्वारा वन्य जीवो के आवगमन वाले अति सवेदनशील क्षेत्रो हेतु वॉच टावर का निर्माण कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है।

9. **राजकीय आग्येयास्त्र की मरम्मत एंव कारतूस कयः–** यह वन प्रभाग का समस्त क्षेत्रफल आरक्षित वन है। प्रभाग में खैर, सागौन, शीशम व साल आदि प्रजाति के बहुमूल्य प्रजातियों के वन विधमान है। प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र उत्तर एवं पश्चिम में उत्तरांचल राज्य के पौड़ी एवं हरिद्वार जनपद से एवं पूर्व में बिजनौर जनपद के शेष भाग से घिरा हुआ है। यह प्रभाग वन्य जीवों के अवैध शिकार के लिये भी अति संवेदनशील है तथा राज्य के संवेदनशील वन प्रभागों की सूची में आता है। अतः वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा की ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता प्रभाग में रही है। वन एंव वन्य जीवो की सुरक्षा के लिये प्रभाग के अर्न्तगत उपलब्ध आग्येयास्त्र की मरम्मत एंव कारतूसो का कय किया जाना अतिआवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

10. सोलर फैन्सिग का निर्माणः—कौडिया मानव वन्य जीवो द्वन्द हेतु अतिसवेदनशील वन प्रभाग है। उक्त कि रोकथाम हेतु सोलर फैन्सिग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।

11. सुरक्षा खाई का निर्माणः— इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब में उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ टाइगर रिजर्व/कार्बेट टाइगर रिजर्व एंव पश्चिम में हरिद्वार वन प्रभाग /राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचो बीच मे राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा में प्रवेश करते हुए एक स्थान से दुसरे स्थान को आवगमन करते है । जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। कौडिया रेंजं की नगीना, नजीबाबाद तहसील के आबादी के ग्राम कौडिया रेंज की सीमा से सटे है। ग्रमीणो की काश्त भूमि वन सीमा से मिली है जिस कारण कि वन्य जीव काश्त में चले जाते है तथा वन्यजीव एंव मानव संघर्ष की घटनाए घटित होती रहती है। तथा हाथियो द्वारा कृषको की फसल नष्ट किये जाने की काफी घटनाये प्रकाश में आ रही हैं। इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि वन सीमा से मिली हुई काश्त भूमि के समीप सुरक्षा खाई का खुदान किया जाये। ताकि हाथी एंव अन्य वन्य जीव निजी काश्त में न जा सके।

12. मृदा एंव जल संरक्षण संरचनाएः— इस प्रभाग की कौडिया रेंज उत्तराखण्ड राज्य की पहाडी की तलहटी पर है। कौडिया रेंज के वन क्षेत्रो के अन्तर्गत मालन नदी, सुखरौ नदी , खौ नदी व रिवाडी नदी बहती है। वर्षात में पहाडी क्षेत्र से अत्यधिक पानी आने के कारण उक्त नदीयो द्वारा वन भूमि का कटाव किया जाता है। जिससे की वन सम्पदा का अत्यधिक नुकसान होता है। वन भूमि एंव वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु नदीयो के किनारे मृदा एंव जल संरक्षण संरचनाए की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

	प्रस्तावित कार्यो का विवरण	योगः—	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
	2	3	4
	वन मार्गो की मरम्मत	10	3,00,000
	पक्के वाटर होल का निर्माण	2	6,00,000
	पक्के वाटर होल में पानी की व्यवस्था हेतु सोलर टूयेबल समरसेबल बोरिंग का निर्माण	3	30,00,000
	पक्के वाटर होलो हेतु पानी की व्यवस्था	ल0स0	50,000
5	वाहन , वाहन की मरम्मत एंव ईधन पर व्यय	ल0स0	30,00,000
6	कैमरा ट्रैप	5	2,50,000
7	वॉच टावर का निर्माण	5	15,00,000
8	राजकीय आग्येयास्त्र की मरम्मत एंव कारतूस कय	ल0स0	3,00,000
9	फायर लाईन	10 कि0मी0	25,000
10	सोलर फैन्सिग का निर्माण	5 कि0मी0	21,25,000
11	सुरक्षा खाई का निर्माण	15000 मी0	8,68,350
	वन्य जीव रेसक्यू व पकड़ने हेत रस्सा आदि कय	ल0स0	50,000
	वेटनरी केयर एंव पोस्टमार्टम आदि पर व्यय	ल0स0	5,00,000
	वन्य जीव द्वारा कृषको की फसल क्षतिग्रस्त होने, वन्य जीव द्वन्द्व में घायल या मृत्यु होने पर अनुगृह धनराशि का भुगतान	ल0स0	10,00,000
	मृदा एंव जल संरक्षण सरंचनाए	5	2,50,000
	योगः—		1,38,18,350

प्रभागीय वनाधिकारी
विजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी , बिजनौर वन प्रभाग , नजीबाबाद ।
पत्रांक 2677/24–1 दिनांक , नजीबाबाद 13 –4–2023 ।
सेवा में ,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
कियान्वयन इकाई नजीबाबाद।

विषय– जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ द्वारा नजीबाबाद–कोटद्वार मार्ग एन0एच0–119 from 2 lane to 2 lane paved shoulder (from Chainage 120+900 to 137+760) under Bharatmata Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौडीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे0 सरंक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव उस पर अवस्थित 5866 वृक्षो के पातन/ट्रासप्लाट की अनुमति के संबध में।

सन्दर्भः– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर का पत्रांक 2379/14– दिनाक 2.4.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है इस प्रभाग को देय Site Specific Wildlife Conservation plan /Mitgation measures की सशोधित धनराशि रू0 1,38,18,350(एक करोड अडतीस लाख अठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) की धनराशि प्रकरण में प्राप्त सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/6/257/2022/एफ0सी0/759 दिंनाक 13.12.2022 मे उल्लेखित शर्त संख्य 27 के अनुसार कैम्पा फाण्ड की धनराशि (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करे।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

पत्रांक /24–1तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक रूहेलखण्ड जोन बरेली की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र , मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी बिजनौर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद।

Scanned with OKEN Scanner